

अनौपचारिक रूप  
से परामर्शित

बिहार सरकार  
गृह (आरक्षी) विभाग

पत्रांक-6/ब0गै0यो0-01-71/2015गृ0आ0..... पटना, दिनांक

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0),  
बिहार, पटना।

द्वारा :- वित्त विभाग।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2015-16 में गैर-योजना के मांग संख्या-22, मुख्य शीर्ष 2055-पुलिस, उप मुख्यशीर्ष-00, लघु शीर्ष 104-विशेष पुलिस, उपशीर्ष 0002-पैदल सैन्य पुलिस, विषय शीर्ष 11 01-यात्रा व्यय तथा विपत्र कोड N2055001040002 के अंतर्गत संभावित बचत राशि में से इसी मुख्य शीर्ष के उप मुख्यशीर्ष 00, लघु शीर्ष 104-विशेष पुलिस, उपशीर्ष 0002-पैदल सैन्य पुलिस, विषय शीर्ष 13 06-वर्दी/पोशाक एवं 14 01-किराया महसूल एवं कर तथा विपत्र कोड N2055001040002 के अंतर्गत क्रमशः ₹ 30,00,000 एवं ₹ 30,00,000 यानि कुल ₹ 60,00,000 (साठ लाख रू0) मात्र के पुनर्विनियोग की स्वीकृति।

आदेश :- बिहार वित्तीय नियमावली के नियम-489 के अधीन पुनर्विनियोग स्वीकृत।

अनु0 :- अनुसूची।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


ह0/-

(आमिर सुबहानी)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञाप सं0-6/ब0गै0यो0-01-71/2015 गृ0आ0.....पटना, दिनांक 21/1/16

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/  
वित्त विभाग (बजट शाखा-5), पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/पुलिस महानिरीक्षक  
(बजट, अपील एवं कल्याण), बिहार, पटना/आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को  
सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

  
7-1-16

सरकार के प्रधान सचिव